संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / कोविड—19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 1762 प्रति, भोपाल, दिनांक 🛂 / 10 / 2020

α,

- 1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
- 2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।

विषय:— कोविड—19 के नियंत्रण हेतु Entertainment/Amusement Park तथा अन्य समतुल्य स्थलों के लिए मानक परिचालन निर्देश।

संदर्भ:— भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी "SOP on Measures to be followed in Entertainment Parks & similar places to contain spread of COVID-19 " दिनांक 08/10/2020.

विषयांतर्गत लेख है कि मनोरंजन पार्क (Entertainment/Amusement Park) में बड़ी संख्या में लोग अपना खाली समय बिताने आते है। अतः इन स्थानों पर भी कोविड—19 के नियंत्रण हेतु आवश्यक सावधानियाँ बरती जाना जरूरी है। इस संबंध में भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 08/10/2020 को जारी निर्देशों के परिपालन में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है:—

- 1. कंटेन्मेन्ट जोन के एन्टरटेन्मेंट / एम्यूज़मेन्ट पार्क
- 1.1 कंटेन्मेन्ट जोन में स्थित एन्टरटेन्मेंट एवं अन्य समतुल्य मनोरंजन स्थल बंद रखे जायें। केवल कंटेन्मेन्ट जोन के बाहर के मनोरंजन स्थलों को खुलने की अनुमित दी जाये।
- 2. कोविड—19 के दौरान समुचित व्यवहारों के बढ़ावा हेतु एन्टरटेन्मेंट पार्कों में आने वाले स्टाफ तथा आगन्तुकों द्वारा निम्न जन स्वास्थ्य गतिविधियों का सर्वथा पालन किया जाये।
- 2.1 न्यूनतम 6 फीट की शरीरिक दूरी अपनाई जाये।
- 2.2 फेस कवर / मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाये।
- 2.3 हाथ गंदे न दिखने पर भी बार-बार साबुन-पानी से (न्यूनतम 40-60 सेकेण्ड तक) अथवा एल्कोहॉलयुक्त हैन्ड सैनिटाईजर (न्यूनतम 20 सेकेण्ड तक) अच्छी तरह साफ किये जाये।
- 2.4 खांसते—छींकते समय मुख को टिशु/रूमाल/मुड़े हुए बाह का उपयोग करने संबंधी श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाये। उपयोग किये गये टिशु का सुरक्षित निपटान ढक्कन वाले डस्टबिन में किया जाये।
- 2.5 अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की जाये एवं किसी भी प्रकार के लक्षण होने पर राज्य/जिला हेल्प लाईन (जिले का एस.टी.डी. कोड व 1075) पर संपर्क किया जाये।
- 2.6 सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को वर्जित किया जाये।
- 2.7 एन्टरटेन्मेंट / एम्यूज़मेन्ट पार्क में आने वाले समस्त स्टाफ तथा आगन्तुकों को आरोग्य सेतु तथा सार्थक लाईट एप इन्टॉल करने का परामर्श दिया जाये।
- 3. संवेदनशील समूहों की सुरक्षा
- 3.1 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दीर्घकालिक रोग युक्त व्यक्ति, गर्भवती महिलायें तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाये। समस्त एन्टरटेन्मेंट पार्क प्रबंधन को तदानुसार ऐसे ग्राहकों को घर पर ही रहने की समझाईश दी जाये।
- 3.2 बुजुर्ग, गर्भवती तथा दीर्घकालिक स्टाफ को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है तथा उन्हें ग्राहकों के सीधे संपर्क वाले फन्ट लाईन कार्य न दिया जाये।
- 4. एन्टरटेन्मेंट पार्क में स्वस्थ्य वातावरण बनाये रखने हेतु आवश्यक निर्देश
- 4.1 पार्क में मनोरंजन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त कार्यस्थलों, सर्वाजनिक स्थलों, खुले क्षेत्रों जैसे झूले, संग्राहालय, उद्यान, फूड—कोर्ट, उपहार गृह, थियेटर आदि का विसंक्रमण 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से सुनिश्चित किया जाये। तदोपरान्त नियमित रूप से विसंक्रमण मानक परिचालन निर्देश अनुरूप सुनिश्चित किया जाये। यह निर्देश निम्न लिंक पर उपलब्ध है

https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplacesincludingoff

ices.pdf.

4.2 दरवाजे के हैन्डल, लिफ्ट के बटन, हैन्ड रेल, झूले, फिसल-पट्टियाँ, कुर्सी, टेबल, बेंच, शौचालय के नल आदि तथा दीवार व फर्श की सफाई एन्टरटेन्मेंट पार्क खुलने से पहले, अन्य उपयुक्त समय पर तथा दिन के अन्त में 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से सुनिश्चित की जाये।

4.3 पार्क में जगह जगह पर सार्वजनिक हाथ धुलाई के स्थान बनाये जाये एवं हैन्ड सैनिदाईजर की पर्याप्त

व्यवस्था रखी जाये।

- 4.4 पेयजल एवं हैन्ड वॉशिंग स्टेशन, शौचालय, शावर आदि की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाये।
- 4.5 सार्वजनिक स्थलों पर जगह—जगह पर ढक्कन वाले डस्टबिन रखे जाये ताकि समस्त ग्राहक तथा स्टाफ द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर/मास्क का सुरक्षित निपटान किया जा सके।

4.6 स्वीमिंग पूल को बंद रखे जाये।

- 4.7 जल मनोरंजन पार्क तथा वॉटर राईड में पार्क प्रबंधन द्वारा पानी के फिल्टरेशन तथा क्लोरिनेशन हेतु मानक अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- 4.8 इन राईड्स पर ग्राहकों की भौतिक संख्या एवं 2 ग्राहकों द्वारा उपयोग के बीच के अंत्राल को नियंत्रित किया जाये।
- 4.9 थियेटरों में शारीरिक दूरी अपनाते हुए केवल 15% सीट क्षमता अनुरूप ही प्रवेश दिया जाये।
- 5. कार्यप्रणाली की व्यवस्थायें एवं गतिविधियों का नियोजन एवं निगरानी

5.1 शारीरिक दूरी

- i. शारीरिक दूरी बनाये रखने के लिए मनोरंजन पार्क के अन्दर व बाहर चूने से मार्किंग की जाये।
- ii. ऑफिस/सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर भी शारीरिक दूरी के लिए मार्किंग सुनिश्चित की जाये।
- iii. कतार प्रबंधन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन को निर्दिष्ट किया जाये।
- iv. स्टाफ तथा ग्राहकों के लॉकर का नियमित विसंक्रमण एवं शारीरिक दूरी रखते हुए उपयोग सुनिश्चित की जाये।

5.2 भीड नियंत्रण

- मनोरंजन पार्क में सदैव भीड़ एक जैसी नहीं होती है। प्रायः सप्ताह के अंत अथवा अवकाशों के दिन अधिक भीड़ होती है। अतएव, इन दिनों के लिए विशेष नियोजन किया जाये।
- ii. ऑनलाईन टिकट प्रावधान रखने हेतु प्रयत्न किया जाये।
- iii. टिकट संख्या का नियंत्रण शारीरिक दूरी को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये एवं तदानुसार एन्टरटेन्मेंट पार्क में आगन्तुकों को प्रवेश दिया जाये।
- iv. किसी भी समय अनुमित सीमा से अधिक व्यक्तियों को एन्टरटेन्मेंट पार्क में प्रवेश नहीं दिया जाये।
- v. यथासंभव भीड़ नियंत्रण हेतु झूलों, फूड कोर्ट जैसे स्थलों की सी.सी.टी.वी. द्वारा निगरानी की जाये।
- vi. जिन एन्टरटेन्मेंट पार्क के लिए ऑनलाईन टिकट की सुविधा उपलब्ध है या जो ग्राहक बिना ऑनलाईन टिकट खरीदे पहुँचे हों, उनके लिए पर्याप्त संख्या में टिकट काउन्टर की स्थापना की जाये ताकि भीड़ से बचाव हो सके।
- vii. टिकट प्रदाय करते समय सरल भाषा में क्या करें-क्या न करें संबंधी निर्देश पत्र वितरित किये जाये तथा इस संबंध में सूचनाओं का सार्वजनिक स्थलों पर प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाये।
- viii. पार्क प्रबंधन द्वारा कॉन्टेक्ट लेस भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये।

5.3 वेन्टीलेशन प्रबंधन

- i. यथासंभव, प्राकृतिक वेन्टीलेशन को बढ़ावा दिया जाये एवं छोटे व घिरे हुए स्थलों का उपयोग नहीं किया जाये।
- ii. खिड़िकयाँ, दरवाजों को खोलकर तथा पंखों का उपयोग कर बाहरी हवा का संचरण सुनिश्चित किया जाये।
- iii. बंद वातानुकूलित परिसरों में ए.सी. उपकरणों के तापमान की सेटिंग 24-30° C व सापेक्षिक आद्रता 40-70% रखी जाये। यथासंभव हवा का री—सर्कुलेशन को नियंत्रित कर ताजी हवा व क्रॉस—वेन्टीलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

5.4 कोविड संबंधी लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता

- i. स्टाफ के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा साधन जैसे फेस कवर/मास्क, अन्य संसाधन जैसे हैन्ड सैनिटाईजर, साबुन, 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन की व्यवस्था एन्टरटेन्मैंट पार्क प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- ii. समुचित संख्या में केलिब्रेटेड थर्मल गन की उपलब्धता रहे।
- iii. जगह—जगह पर ढक्कन वाले डस्टबिन रखे जायें ताकि प्रोटोकॉल अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के निर्देश सी.पी.सी. बी के निर्देश दर्शाये लिंक पर https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/Bio-Medical-Waste/BMW-GUIDELINES-COVID_1.pdf उपलब्ध है।

5.5 जन जागरूकता हेतु निर्देश

- i. एन्टरटेन्मेंट पार्क का मोबाईल एप अथवा वेबसाईट पर कोविड—19 के नियंत्रण हेतु गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाये।
- ii. उक्त वेबसाईट / मोबाईल एप्लीकेशन द्वारा आगन्तुकों को अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करने की समझाईश तथा कोविड-19 के कोई भी लक्षण होने पर पार्क न आने की हिदायत दी जाये।
- iii. पोस्टर/स्टैन्डी/ऑडियो-विजुअल मीडियो का उपयोग कर कोविड-19 को नियंत्रित करने संबंधी जानकारी प्रसारित की जाये।
- iv. कोविड—19 के नियंत्रण हेतू समुचित व्यवहारों के संबंध में रेकॉर्डेड संदेशों का प्रसारण किया जाये।
- v. जिला हेल्प लाईन नम्बर तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क नम्बर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाये।

6. स्वास्थ्यवर्धनकारी प्रबंधन शैली हेतु निर्देश

6.1 प्रवेश एवं निकास द्वार पर

- i. समस्त प्रवेश द्वारों पर हाथों की स्वच्छता के लिए सैनिटाईजर डिस्पेन्सर तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- ii. प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक-पृथक द्वार एवं एक से अधिक द्वार की व्यवस्था हो।
- iii. केवल लक्षण रहित व्यक्तियों (प्रबंधकीय स्टाफ, कर्मचारी, आगन्तुक आदि) को परिसर में प्रवेश दिया जाये।
- iv. कंटेन्मेन्ट जोन् में निवासरत कर्मचारियों / आगन्तुकों को एन्टरटेन्मेंट पार्क तथा समतुल्य स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाये।
- v. पार्क में समस्त कर्मचारियों / आगन्तुकों द्वारा संदैव फेस कवर / मास्क का उपयोग किया जाये।
- vi. झूलों के लिए प्रवेश हेतु कतारों में न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखी जाये एवं ग्राहकों की संख्या को नियंत्रित किया जाये।
- vii. पार्किंग स्थल, टिकट काउन्टर, लिफ्ट आदि के उपयोग के समय कतार प्रबंधन सुनिश्चित कर शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाये।
- viii. यदि वैले—पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध हो तो, ड्राईवर द्वारा फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाये। स्टीयरिंग, कार के दरवाजे के हैन्डल, चाबियों का विसंक्रमण गाड़ी लेने के पूर्व तथा गाड़ी हैन्ड—ओवर करते समय सुनिश्चित की जाये।

6.2 एन्टरटेन्मेंट पार्क परिसर में

- i. बैठक व्यवस्था हेतु चेयर, बेंच के बीच में न्यूनतम 6 फीट की दूरी रखी जाये।
- ii. झूलों में केवल सीमित संख्या में ही आगन्तुकों को प्रवेश दिया जाये।
- iii. लिफ्ट में शरीरिक दूरी का पालन करते हुए केवल सीमित संख्या में ही लोगो को प्रवेश दिया जाये।
- iv. एस्कलेटर का उपयोग करते समय एक सीढ़ी छोड़ते हुए व्यक्तियों को बारी—बारी से उपयोग हेतु अनुमित दी जाये।

6.3 झूलों में

i. झूले में प्रवेश देने से पहले झूलों के बार-बार छूए जाने संपर्क सतहों का विसंक्रमण की जाये।

- ii. इस हेतु समस्त ग्राहकों का झूले में बैठने के पूर्व एवं पश्चात में हैन्ड-सैनिटाईज किये जाये जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में हैन्ड-सैनिटाईजर की उपलब्धता रहे।
- ii. झूलों में शारीरिक दूरी हेतु प्रोटोकॉल का पालन किया जाये।

6.4 सार्वजनिक स्थलों हेतु निर्देश (स्मृति चिन्ह विक्रेता स्टॉल, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, चेन्जिंग रूम, शावर आदि)

- i. भीड़ नियंत्रण एवं कतार प्रबंधन हेतु समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये।
- ii. परिसर के फूड कोर्ट तथा भोजनालयों में बैठक क्षमता के 50% से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाये।
- iii. बैठक व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी का पालन किया जाये।
- iv. फूड कोर्ट के स्टाफ / वेटर द्वारा सर्वथा मास्क एवं दस्तानों का उपयोग किया जाये एवं अन्य सतर्कतायें बरती जाये।
- v. ऑर्डर देते समय कॉन्टेक्ट लेस पद्धित का उपयोग एवं डिजिटल भुगतान प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाये।
- vi. प्रत्येक ग्राहक के जाने के पश्चात टेबल का सैनिटाईजेशन किया जाये।
- vii. रसोई घर में स्टाफ द्वारा कोविड हेतु समुचित व्यवहारों का पालन एवं शारीरिक दूरी आपनाई जाये।

6.5 परिसर में पाये गये कोविड-19 के संदिग्ध अथवा पुष्ट केस का प्रतिवेदन/प्रबंधन

- बीमार व्यक्ति को कार्यक्रम में आये अन्य आगन्तुकों से तत्काल पृथक कर "आईसोलेशन कक्ष/क्षेत्र"
 में रखा जाये।
- ii. आईसोलेशन अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा अनिवार्यतः फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाये।
- iii. यदि लक्षण गंभीर होते हैं तो, तत्काल निकटतम अस्पताल अथवा डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को सूचित किया जाये।
- iv. लक्षणयुक्त व्यक्ति में जोखिम का आंकलन मनोनीत स्वास्थ्य अधिकारी (जिला आर.आर.टी.एम.ओ. / नामांकित चिकित्सक) द्वारा सुनिश्चित की जाये एवं लक्षण आधारित प्रबंधन प्राटोकॉल का पालन किया जाये। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आये अन्य लोगों में संक्रमण के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- v. संदिग्ध व्यक्ति के कोविड—19 पॉजीटिव पाये जाने पर, समूचे कार्यक्रम परिसर का विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाये।

(डॉ. संजय गोयल) आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश

क्रमांक / कोविड—19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 17 63 प्रतिलिपि:— सूचनार्थ । भोपाल, दिनांक 13/10/2020

- 1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग / चि.शि. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
- 2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
- 3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
- 4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
- 5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
- 6. संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी., म.प्र।
- 7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
- 8. प्रभारी, कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश

Government of India Ministry of Health and Family Welfare (EMR Division)

SOP on preventive measures to be followed in Entertainment Parks and similar places to contain spread of COVID-19

1. Background

Entertainment Parks and similar places are frequented by a large number of people for leisure and entertainment. To prevent spread of COVID-19 infection, it is important that required physical distancing and other preventive measures are followed in these places.

2. Scope

This document outlines various generic precautionary measures to be adopted in addition to specific measures to be ensured at Entertainment Parks and similar places to prevent spread of COVID-19. Entertainment Parks and similar places in Containment Zones shall remain closed. Only those outside Containment Zones will be allowed to reopen.

The authority with appropriate jurisdiction may consider implementing additional measures as per their local assessment and in line with activities permitted by Ministry of Home Affairs (MHA) as per MHA orders issued under Disaster Management Act, 2005 from time to time.

3. Promoting COVID appropriate behaviour

Simple public health measures are to be promoted to reduce the risk of spread of COVID-19 infection. These measures are to be observed by all (staff and visitors) in these places at all times.

These include:

- i. Physical distancing of at least 6 feet to be followed as far as feasible.
- ii. Use of face covers/masks to be made mandatory.
- iii. Practice frequent hand washing with soap (for at least 40-60 seconds) even when hands are not visibly dirty. Use of alcohol-based hand sanitizers (for at least 20 seconds) can be made wherever feasible.
- iv. Respiratory etiquettes to be strictly followed. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing/sneezing with a tissue/handkerchief/flexed elbow and disposing off used tissues properly.
- v. Self-monitoring of health by all and reporting any illness at the earliest to State or District helpline.
- vi. Spitting shall be strictly prohibited.
- vii. Installation & use of Aarogya Setu App shall be advised to all.

4. Protecting the vulnerable population

- Persons above 65 years of age, persons with comorbidities, pregnant women and children below the age of 10 years are advised to stay at home. Entertainment Park management to advise its clients accordingly.
- ii. Employees who are at higher risk i.e. older employees, pregnant employees and employees who have underlying medical conditions must take extra precautions. They

should preferably not be exposed to any front-line work requiring direct contact with the public.

5. Providing and maintaining healthy environment at Entertainment Park and similar places

- i. Prior to resumption of activities, all work areas, public utility areas and open spaces (including but not limited to rides, museums, gardens, food courts, gift shops, theatres, etc.) shall be sanitized with 1% Sodium Hypochlorite solution. Thereafter this will be done on a regular basis. Detailed guidelines are available at:
 - https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplacesincludingoff ices.pdf.
- ii. Cleaning and regular disinfection (using 1% Sodium Hypochlorite solution) of frequently touched surfaces (door knobs/handles, elevator buttons, hand rails, slides, chairs, tabletops, benches, washroom fixtures, etc.) and floors, walls etc. to be done before opening of Entertainment Park, at the end of the day and at other appropriate times.
- iii. Provisions to be made for multiple hand washing stations and hand sanitizers for the use of public. Provision of soap in toilets and hand sanitizers in other common areas in sufficient quantity must be ensured.
- iv. Deep cleaning of all drinking and hand washing stations, washrooms, showers and lavatories shall be ensured.
- v. Visitors and employees should be advised to dispose of used face covers / masks in separate covered bins placed in common areas.
- vi. Swimming Pool (wherever applicable) shall remain closed.
- vii. Water themed Entertainment Parks and water rides shall ensure adequate and regular water filtration and chlorination as per laid down standards.
- viii. Staggered timing and regulation of physical numbers on these rides be ensured.
- ix. Theatres will only allow 50% of seating capacity duly ensuring physical distancing norms.

6. Planning for operations, scheduling and monitoring of activities

6.1 Physical distancing

- For ensuring physical distancing inside and outside the premises, specific markings on the floor may be made. Similarly, physical distancing shall also be maintained in office areas and common utility areas.
- There will be queue management inside and outside the premises. Enough personnel will be deployed to monitor the queue and physical distancing.
- iii. Lockers for staff and visitors will remain in use; physical distancing and regular disinfection to be maintained.

6.2. Crowd management

- The crowd density does not remain the same throughout and usually peaks on weekends and holidays. Planning should specifically factor-in requirement for these peak days.
- ii. Provision for online tickets must be encouraged.
- iii. The tickets sold shall be commensurate with the floor area per person that is required for fulfilling the physical distancing norms. Accordingly, entry to the Entertainment Park shall be regulated.
- iv. Entry of visitors with tickets to be monitored to ensure that the number of visitors inside the Entertainment Park at any given time doesn't exceed the permissible limit.
- v. CCTV monitoring shall be ensured to detect crowding at any Rides or Food Court etc.

- vi. For those who reach the Entertainment Park without online ticket or where facility of on-line ticketing does not exist, adequate number of ticket counters shall be planned duly ensuring physical distancing norms.
- vii. A simple do's and don'ts Advisory may be distributed at the time of issue of tickets/passes or may be printed on the tickets itself. Do's and Don'ts also to be displayed at vantage points.
- viii. The park management may make suitable provisions for contact-less payment.

6.3. Ensuring ventilation

- i. As far as feasible, natural ventilation must be ensured and use of small enclosed spaces must be discouraged.
- ii. Circulation of outdoor air needs to be increased, as much as possible, by opening windows and doors, using fans, or other methods.
- iii. For air-conditioning/ventilation, of closed enclosures, the guidelines of CPWD shall be followed which emphasizes that the temperature setting of all air conditioning devices should be in the range of 24-30°C, relative humidity should be in the range of 40-70%, intake of fresh air should be as much as possible and cross ventilation should be adequate. Air handling unit needs to be cleaned prior to switching on.

6.4. Making available COVID related supplies

- i. Appropriate arrangements for personal protection devices like face covers/masks, and other logistics like hand sanitizers, soap, sodium hypochlorite solution (1%) etc. shall be made available by management for their employees as per requirements.
- ii. Provide an adequate supply of calibrated thermal guns.
- iii. Ensure availability of covered dustbins and trash cans in sufficient numbers to manage waste as per CPCB guidelines (available at: https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/Bio-Medical-Waste/BMW-GUIDELINES-COVID 1.pdf)

6.5. Creating awareness

- i. The mobile application or web site of the Entertainment Park must display preventive measures for COVID-19.
- ii. The website/ Mobile application shall inform the visitors on self-monitoring of health and not to visit the park if suffering from symptoms of Covid-19.
- iii. Provisions must be made for display of Posters/standees/AV media on preventive measures against COVID-19 at prominent places in the Entertainment Park.
- iv. Recorded messages on precautionary measures and COVID appropriate behaviour may be played.
- v. Display State helpline numbers and also numbers of local health authorities at prominent places.

7. Maintaining Healthy operations

7.1. At the entry point and exit.

- Entrance to have mandatory hand hygiene (sanitizer dispenser) and thermal screening provisions.
- ii. Multiple gates/separate gates, if feasible, should be used for entry and exit.

- iii. Only asymptomatic persons (managerial staff, employees, visitors) to be allowed in the premises.
- iv. Management staff, employees and visitors living in containment zones shall not be allowed entry in entertainment park and other similar places.
- v. All employees/visitors to be allowed entry only if using face cover/masks. The face cover/mask has to be worn at all times inside the entertainment park.
- vi. Staggering of visitors to be done for maintaining physical distancing of a minimum of 6 feet, when queuing up at the time of entry and for rides etc.
- vii. Proper queue management shall be followed at the ticket counters, the parking lots, in corridors and in elevators duly following physical distancing norms shall be organized.
- viii. Valet parking, if available, shall be operational with operating staff wearing face covers/ masks as appropriate. A proper disinfection of steering, door handles, keys, etc. of the vehicles should be taken up, before taking over and handing over the vehicle.
- 7.2. Within the premises of the entertainment park complex.
 - i. Seating arrangement to ensure a distance of 6 feet between chairs, benches, etc.
 - ii. Staggering of visitors for different rides to be done, to allow for adequate physical distancing.
 - iii. Number of people in the elevators shall be restricted, duly maintaining physical distancing norms.
 - iv. Use of escalators with one person on alternate steps may be encouraged.

7.3. During rides

- i. Disinfect the common touched surfaces of the ride equipment, before commencing the ride.
- ii. Visitors shall sanitize their hands before and after using the rides. For such purpose hand sanitizer should be provided at the entry and exit of ride stations etc.
- iii. Ensure physical distancing in rides.
- 7.4. Activities in common areas Souvenir Shops, stalls, cafeteria, food courts, changing rooms, showers, etc.
 - i. Adequate crowd and queue management to be ensured.
 - ii. In food courts and restaurants, not more than 50% of seating capacity to be permitted.
 - iii. The seating arrangement should ensure adequate physical distancing.
 - iv. Food court staff / waiters should wear mask and hand gloves and take other required precautionary measures.
 - v. Contactless mode of ordering and digital mode of payment to be encouraged.
 - vi. Tables to be sanitized each time customer leaves.
 - vii. In the kitchen, the staff should follow physical distancing norms at workplace.
 - 8. Reporting of a suspect or confirmed case in the premises:
 - i. Place the ill person in a room or area isolated from others.
 - ii. Provide a mask/face cover till such time he/she is examined by a doctor.
 - iii. Immediately inform the nearest medical facility (hospital/clinic) or call the State or District helpline.
 - iv. A risk assessment will be undertaken by the designated public health authority (District RRT/treating physician) and accordingly further action be initiated regarding management of case, his/her contacts and need for disinfection.
 - v. Disinfection of the premises to be taken up if the person is found positive.